

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./120/2013

दर्ज दिनांक:-30.09.2013

1. विष्णुचन्द पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. शन्ति प्रसाद पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पटवरी/तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2018 के अनुसार वादी विष्णु की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक वादी के वारिसान द्वारा स्वयं को पक्षकार मुकदमा बनाने का प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा में पेश नहीं किया है। इस दावे में अंकित ख.नं. 2735 अन्य मुकदमा सं. 11/2014 में भी विवादित है। हाल ख.नं. 3162, 3163 किता 2 रकवा 0.31 है0 मे से प्रतिवादी सं. 5 ने अपना 1/2 हिस्सा गयादेवी पत्नि बच्चूसिंह को 11/62 तथा गीता देई पत्नि गिराज को 10/31 हि0 विक्रय कर दिया है। उन्हें भी पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जबकि विभाजन के दावे में समस्त अभिलिखित सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

